कामकाजी महिला

वर्ष 3 अंक 4 अप्रैल, 1991 मूल्य : 2 रु०

कामगार महिलाओं का तीसरा सम्मेलन, कलकत्ता, 12-13 फरवरी, 1991

कामगार महिलाओं की तीसरी कन्वेंशन

सीटू सम्मेलन से पहले कामगार महिलाओं का कन्वेंशन आयोजित करने की तो जैसे अब परंपरा ही बन चुकी है। इसी परंपरा के अनुसार सीटू के सातवें सम्मेलन से पहले 12-13 फरवरी को साल्ट लेक स्टेडियम के लीला सुंदरैया नगर में कामगार महिलाओं की तीसरी कन्वेंशन सपन्न हुई। 475 प्रतिनिधियों तथा कुछ प्रेक्षकों ने कन्वेंशन में भाग लिया। ये प्रतिनिधि कोयला, जूट, बिजली, परिवहन, होटल, बीमा तथा जीवन बीमा निगम जैसे उद्यमों और आंगनवाड़ी का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। इस बार इंडियन एयर लाइंस की प्रतिनिधियों के रूप में 15 विमान परिचारिकाओं की उपस्थिति कन्वेंशन की मुख्य विशेषताओं में से एक थी।

मजदूरों के जाने-माने नेता और पश्चिम बंगाल राज्य सीटू के अध्यक्ष मनोरंजन राय ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने विशेष रूप से का० बी टी रणदिवे को याद किया जिनके प्रयासों के चलते ही कामगार महिलाओं की समन्वय समिति का गठन हुआ था और कामगार महिलाओं के लिए किये गये जिनके कामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मनोरंजन राय ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

अध्यक्षमंडल के चुनाव के बाद का० बी टी रणदिवे, सरोज मुखर्जी, मोहम्मद इस्माइल जैसे मेहनतकश जनता के दिवंगत नेताओं तथा शहीदों और पंजाब, त्रिपुरा, असम तथा दार्जिलिंग की उन बहादुर महिलाओं, जिन्होंने अदम्य साहस के साथ मौत का सामना किया, को कन्वेंशन ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

सीट महासचिव (तत्कालीन) और सुप्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता समर मुखर्जी ने कन्वेंशन का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में युद्ध को रुकवाने और शांति की बहाली के लिए संपूर्ण मजदूर वर्ग द्वारा सही भूमिका अदा किये जाने की जरूरत पर जोर दिया। देश की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने बढ़ती महंगाई तथा

इस अंक में

कामगार महिलाओं की तीसरी कन्वेंशन	2
का० नासमी कोशीमटो, जेनरोरेन (जापान) का भाषण	6
का० मिचिको मोचीजुकी, मिनकोरोरेन (जापान) का भाषण	8
महिला सम्मेलन में पारित प्रस्ताव	9
दिल्ली में आंगनवाड़ी महिलाओं की प्रभावशाली रैली	13
अखिल भारतीय संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 4 मार्च को बोट क्लब की रैली में रखा गया प्रस्ताव	15
त्रिपुरा राज्य महिला मजदूरों की पहली कन्वेंशन	16
कामगार महिलाएं और सीटू का सातवां सम्मेलन	17
दिल्ली : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया	18
जीवन बीमा निगम की कामगार महिलाओं की क्रेच सुविधाओं और कामगार महिला होस्टल बनाने की मांग	19
कामगार महिलाओं को मई दिवस की बधाई	20
सामाजिक न्याय व महिलाओं के अधिकार	21
आइ सी डी एस अफसरों द्वारा विक्टिमाइजेशन का विरोध	22
गिरता ही जा रहा है समाज में महिलाओं का दर्जा	23

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 3714071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21 झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

बेरोजगारी से पैदा हुए आर्थिक संकट के खिलाफ तथा सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत को रेखांकित किया और खास तौर से महिलाओं का आह्वान किया कि जनतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता को कायम रखने के लिए विशेष भूमिका अदा करें। आम संघर्ष में का० बी. टी. आर. के शानदार तथा बहुमूल्य योगदान की चर्चा करते हुए समर मुखर्जी ने कामगार महिलाओं से भावपूर्ण अपील की कि का० बी टी आर जिस क्रांति के लिए जीवन भर लड़ते रहे, क्रांति के लिए जारी उस लड़ाई को अपना पूर्ण समर्थन दें तथा उसके लिए संघर्ष करें और सामाजिक बदलाव के लिए कामगार महिलाओं के हितों की रक्षा करें।

अखिल भारतीय महिला समिति की ओर से महासचिव श्यामली गुप्त ने कन्वेंशन का अभिनंदन किया और महिलाओं की मुक्ति के साझा संघर्ष में कामगार महिलाओं के साथ अपने संगठन की एकजुटता का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं भयानक गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और बेकारी से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि जनवादी महिला समिति के हाल में संपन्न हुए सम्मेलन में इन समस्याओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। जनवादी महिलाएं देहाती महिलाओं, जो कि एक बड़ी ताकत है, को उनकी समस्याओं पर संगठित कर रही हैं। उन्होंने सभी महिलाओं की एकजुटता का आह्वान किया, ताकि एक साझा संघर्ष शुरू किया जा सके।

सचिव की रिपोर्ट

संगठन की सचिव विमल रणदिवे ने सम्मेलन में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में पिछले दस-बारह सालों में सामने आये मुद्दे उठाये गये थे।

1979 में मद्रास पहली कन्वेंशन के बाद, सीटू ने कामगार महिलाओं से संबंधित मुद्दे उठाने शुरू किये, विभिन्न राज्यों में कन्वेंशनों और सम्मेलनों का आयोजन किया जाने लगा। लेकिन, सात-आठ साल बाद यह प्रक्रिया रुक गयी। अनेक कमेटियों ने काम करना बंद कर दिया, जिनमें पंजाब कमेटी का कामकाज बंद होना विशेष रूप से गौरतलब है। इन कमेटियों को सीटू की ओर से कोई मदद नहीं मिल पायी। हाल में गतिविधियां फिर से शुरू हुईं, उदाहरण के लिए राजस्थान में। बहरहाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि राज्यों में मजदूर वर्ग के संघर्षों में कामगार महिलाओं के आगे आने और इन राज्यों में संगठन की विशाल संभावनाओं के बावजूद सीटू तथा दूसरी फेडरेशनें इन महिलाओं को यूनियनों में संगठित करने में पिछड़ रही हैं।

हाल के दौर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मध्यवर्गीय कर्मचारियों में भारी जागरूकता पैदा हुई है और बीमा तथा जीवन बीमा निगमों, बिजली, राज्य सरकार कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों के बीच काम कर रही यूनियनों ने अपनी महिला शाखाओं का गठन किया है और कन्वेंशनों का आयोजन किया है और इन कन्वेंशनों में महिलाओं के साथ यूनियन नेताओं ने भाग लिया है। यह देखा गया है कि अनेक सक्रिय कामगार महिलाओं को कमेटियों में लिया गया है और उन्हें पदाधिकारी बनाया गया है।

हालांकि यह तथ्य है कि कामगर महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति को सीटू की शाखा के रूप में ही मान्यता प्राप्त है, जबकि दूसरे केंद्रीय ट्रेड यूनियन सगठनों ने ऐसे संगठनों का गठन नहीं किया गया है, आम तौर पर सीटू की ओर से अब भी नेतृत्व के लिए महिला कार्यकर्ताओं को विकसित करने में बहुत कम रुचि ली जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब महिलाओं ने संघर्ष किया है, जेल गयी हैं और कुछ ने तो अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया है। इसके बावजूद उच्चस्तरीय निकायों में उस अनुपात में महिलाओं की बढ़ोतरी नहीं हुई है। घर तथा कार्यस्थल पर, उनके दोहरे शोषण और उनकी अशिक्षा को देखते हुए यूनियनों के पुरुष नेतृत्व को सहानुभूतिपूर्वक इन कारकों को स्वीकार करना चाहिए और वक्ताओं के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करने में उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी गतिविधियों को निर्देशित करना चाहिए। आज जबकि फेडरेशनों तथा यूनियनों द्वारा प्रकाशित लगभग सभी पत्रिकाओं में महिलाओं के संघर्षों, सम्मेलनों आदि की खबरें छपती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ भेदभाव जारी है।

आंगनवाड़ी महिलाओं को संगठित करने में हुई भारी प्रगति, अखिल भारतीय फेडरेशन के गठन और चार विभिन्न फेडरेशनों द्वारा गठित संघर्ष समिति और इस समिति द्वारा दिया गया 4 मार्च को दिल्ली चलो का आह्वान, कामगार महिलाओं के इस सबसे उत्पीड़ित तबके

को लामबंद करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कैसे हैं हालात

चूंकि इस कन्वेंशन में 17 राज्यों का प्रतिनिधित्व हो रहा था, इसलिए रिपोर्ट पर बहस में भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों को बोलने के लिए काफी कम समय मिला। प० बगाल, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश के वक्ताओं ने लिखित रिपोर्टें भी पेश कीं।

प० बंगाल की ट्रांसपोर्ट यूनियन की शिवानी सेनगुप्त ने स्वीकार किया कि 1979 के स्थापना सम्मेलन के बाद से प० बंगाल में कामगार महिलाओं का दूसरा कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। जबकि इस दौर में कामगार महिलाओं ने विभिन्न गतिविधियों और सीटू के विभिन्न अभियानों तथा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और इस पूरे दौर में कामगार महिलाओं के मुद्दे उठते रहे हैं। प० बंगाल राज्य सीटू के पिछले सम्मेलन में 74 महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जोकि पिछले सम्मेलन के मुकाबले ज्यादा संख्या थी। लेकिन, कामगार महिलाओं के सामने उपस्थित समस्याओं को ज्यादा रेखांकित किये जाने के बावजूद मूलभूत जरूरतों की दिशा में प्रगति नहीं हो पायी है। आज भी समान काम के लिए महिलाओं को कम वेतन मिलता है, पदोन्नति नहीं दी जाती, कामगारों की छटनी की जानी हो या कारखानाबंदी का सवाल हो, चाहे उसके आधुनिकीकरण का, सबसे पहले महिलाओं पर ही यह तलवार गिरती है। पालनाघरों, होस्टलों, मातृत्व लाभों आदि की उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और कामगार महिलाओं के लिए कल्याणकारी कानून उन्हें काम देने से इनकार करने का बहाना बन चुके हैं।

वाम मोर्चा सरकार की मौजूदगी और उसके कामगार महिलापरस्त कदमों के बावजूद खदानों, बागानों आदि में लघु उद्योगों में, जहां कि काम की स्थितियां खास तौर से बेहद खराब हैं, मालिकान इन कदमों को कोई महत्व नहीं देते हैं। आंगनवाड़ी महिलाओं में काम की प्रगति अच्छी है।

केरल की ऊषा कुमारी ने कामगार महिलाओं की समस्याओं के संदर्भ में विस्तृत संघर्षों की चर्चा की। केरल में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के सभी तबकों की समस्याओं पर और साक्षरता अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

बिहार की संध्या बख्शी ने महिला आंदोलन के विकास की चर्चा करते हुए आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार जारी रहने की खास समस्या को उठाया।

का० अनिमा बनर्जी (प. बंगाल) ने अपने वक्तव्य में टेक्नालाजी के सवाल को उठाया और पलनाघरों की मांग का समर्थन किया।

उड़ीसा की कुमुदिनी बेहरा ने कामगार महिलाओं की निम्नस्तरीय चेतना की वजह राज्य के कमजोर जनतांत्रिक आंदोलन को बताया। कामगार महिलाओं के आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए उड़ीसा में दो कन्वेंशनों का आयोजन किया गया। स्थानीयकरण तथा रोजगार उनके लिए मुख्य समस्या है। उड़ीसा में कहीं भी पालनघर की सुविधा नहीं है।

मध्य प्रदेश की संध्या शैली ने भी यही कहा कि कामगार महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ, हालांकि कुछ जगहों में काम शुरू हुआ है। लेकिन, साथियों में अब भी कुछ हिचकिचाहट बनी हुई है। इसी के चलते कई बार साथी कामगार महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते और कार्यकर्ता तथा नेता विकसित नहीं कर पाते।

केरल की असेंला फ्रांसिस ने रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कहा कि सीटू की मदद के बिना हमें कामयाबी नहीं मिल सकती इसलिए सीटू को आगे आना होगा।

मुख्य अतिथि का भाषण

सीटू उपाध्यक्ष आर उमानाथ कन्वेंशन के मुख्य अतिथि थे। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रतिनिधियों को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये। अपना भाषण शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दो कन्वेंशनों के दौरान कामगार महिलाओं के आंदोलन में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह भी तथ्य है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन में अभी सामंती सोच बचा हुआ है, हालांकि धीरे-धीरे यह कम हो रहा है।

उमानाथ ने अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति और सीटू के आपसी संबंधों के बारे में बताया। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एक ऐसा जनसंगठन है, जिसमें सभी तरह की महिलाओं को सदस्य बनाया जाता

है, चाहे वे किसी भी वर्ग की हों, जबकि कामगार महिला समन्वय समिति महिलाओं का जनसंगठन नहीं है, बल्कि ट्रेड यूनियनों और मजदूर वर्ग का एक संगठन है। दूसरे, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति महिलाओं की सभी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को ही नहीं उठाती, बल्कि कामगार महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने में भी मदद करती है। कामगार महिलाओं की समन्वय समिति कामगार महिलाओं की समस्याओं को तो उठाती ही है, साथ ही महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय के लिए भी संघर्ष करती है।

इस प्रकार ये दोनों संगठन भिन्न हैं, लेकिन साथ ही एक-दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और एक-दूसरे के काम आते हैं, सीटू तथा दूसरी ट्रेड यूनियनें कामगार महिलाओं की समस्याओं को उठाती हैं। ट्रेड यूनियन और कामगार महिला समन्वय समिति की गतिविधियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं और नये कार्यकर्ता तथा नेता विकसित कर दोनों एक-दूसरे को मजबूत बनाते हैं। ये संगठन एक-दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। उनका अंतिम उद्देश्य एक ही है।

सीटू और कामगार महिला सदस्यों के दूसरी ट्रेड यूनियनों के साथ संबंधों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि सीटू सभी कामगार महिलाओं को, चाहे वे किसी भी ट्रेड यूनियन से संबद्ध हों, उनकी साझा मांगों पर संगठित करना चाहती है। दूसरी यूनियनों की कामगार महिलाओं को जब भी कोई खास समस्या आती है, सीटू उसे हल करने के लिए अपनी मदद देने के लिए तैयार रहती है। इस तरह विभिन्न समन्वय समितियों को अपनी पहचान अलग बनाये रखकर भी एकजुट होकर काम करना चाहिए।

महिलाओं को नेतृत्व के लिए विकसित करने के मुद्दे को स्पष्ट करते हुए उमानाथ ने कहा कि सीटू का केंद्रीय मुद्दा सही नेतृत्व है। उन्होंने कहा कि हमें अवसर पैदा करने चाहिए और महिलाओं को कामगार महिलाओं, माताओं और गृहणियों के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाना चाहिए। नेतृत्व में पुरुषों का ही प्रभुत्व हतोत्साहित किया जाना चाहिए और उनके सामंती सोच को बदलने के साथ ही महिलाओं को नेता के रूप में आगे आना चाहिए। उन्हें अपनी यूनियनों की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए।

कन्वेंशन ने सांप्रदायिकता, महंगाई, खाड़ी संकट, तमिलनाडु की चुनी हुई सरकार को गिराये जाने जैसे मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किये।

खाड़ी संकट पर प्रस्ताव पेश करते हुए का० अहल्या रांगनेकर ने अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके युद्धोन्मादी साजिशों को उजागर किया और कहा कि दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए यह निर्दोष जनता खासकर बच्चों और महिलाओं पर वहशीयाना मुहिम चलाने में जरा भी नहीं हिचकिचाती। अमरीकी युद्ध साजिशों में मदद देने के लिए उन्होंने चंद्रशेखर सरकार की कड़ी भर्त्सना की जिसने अमरीकी युद्ध विमानों को देश में तेल भरने की इजाजत दी। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए केरल की का० प्रसन्न कुमारी ने बताया कि इस युद्ध के चलते किस तरह भारत के लोग खासकर केरल के लोग भी प्रभावित हैं और उन्होंने तत्काल युद्ध समाप्त करने की मांग की।

तमिलनाडु की जनतांत्रिक ढंग से चुने गए सरकार को गिराकर वहां राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के विरोध में प्रस्ताव को का० सुशीला गोपालन ने पेश की और तमिलनाडु की का० कृष्णाबाई ने इसका समर्थन किया। केरल में म्युनिसिपल चुनावों में वाम जनवादी मोर्चे की भारी जीत की सराहना करते हुए अध्यक्षमंडल की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया।

साम्प्रदायिक सद्भाव के समर्थन में प्रस्ताव को पेश करते हुए का० लक्ष्मी सहगल ने कहा 42 साल के कांग्रेस राज ने देश जनता के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी की हैं। साम्प्रदायिक माहौल पैदा करने का श्रेय भी उसी को जाता है क्योंकि अपनी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के सवाल को भी उसने ही उछाला था और आज भारतीय जनता पार्टी व विश्व हिन्दू परिषद साम्प्रदायिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए हर जघन्य प्रयास में जुटी हुई है।

का० मंजुलिका बसु (त्रिपुरा), का० उमा महेश्वरी (तमिलनाडु), का० राजम्मा (कर्नाटक), का० गुनिया तांति (त्रिपुरा), का० दीपाली बसु (प० बंगाल) ने सचिवीय रिपोर्ट पर बहस में हिस्सा लिया।

कन्वेंशन ने विमल रणदिवे को पुनः सचिव चुना।

का. नासमी कोशीमटो, जेनरोरेन (जापान) का भाषण

प्रधानजी व प्यारे साथियो,

मुझे हर्ष है कि मुझे आपकी इस सभा में आने का अवसर मिला। मैं जापान के राष्ट्रीय केंद्र ज़ेनरोरेन की मजदूर संघों की कन्फ़ेडरेशन से आई हूं। मैं ज़ेनरोरेन के 1,400,000 सदस्यों की ओर से अब सब भारतीय महिला मजदूरों के लिए शुभ कामनायें लाई हूं।

ज़ेनरोरेन का जन्म 21 नवम्बर 1989 को हुआ। इसकी बुनियाद का पूरे देश में, जापान के मजदूरों ने बहुत गरमजोशी से स्वागत किया क्योंकि यह 14 साल के ऐसे दौर के बाद बन पाई जब कोई जंगज व वर्ग आधार पर टिका राष्ट्रीय केंद्र जापानी मज़दूर संघ की आंदोलन में नहीं था।

युद्ध से पहले और बाद में भी, जापान में मज़दूर आंदोलन की दो धारायें रही हैं। जंगज़ू मज़दूर संघ जो मज़दूरों और जनता के हितों की रक्षा के लिए लड़ते हैं, को दबा दिया गया और यद्ध पश्चात एक जंगज़ू राष्ट्रीय केंद्र (औद्योगिक संस्थाओं की कांग्रेस) को अमरीकी कब्ज़ा करने वाली ताक़तों द्वारा भंग कर दिया गया।

ज़ेनरोरेन की पहले सम्मेलन का नारा दिया गया "आओ हम अपने सुन्दर और आशामयी कल के लिए संघर्ष करने पर एक हो जायें" हम अब न केवल संघ के सदस्यों की मांगों के लिए बल्कि समस्त 46,000,000 जापानी मज़दूरों के लिए संघर्ष करते हैं।

ज़ेनरोरेन के कार्यक्रम की घोषणा की गई है कि यह लगातार जनता और मज़दूरों के हितों की जदोजहद के साथ-साथ, महिलाओं की व पुरुषों से बराबरी, महिलाओं की मुक्ति और समस्त जनता के बुनियादी मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेगी।

अब महिला मज़दूरों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। पूरी मज़दूर शक्ति का 40% अर्थात् कोई 140 लाख के करीब महिलायें हैं। इनमें से 70% विवाहित हैं और उन्हें अपने काम की जगहों के अतिरिक्त घर में भी काम करना पड़ता है।

महिला मज़दूरों का समाज में और आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए भी यह खास बात है कि उनका स्तर बहुत नीचा है।

महिला मज़दूरों का वेतन स्तर पुरुषों के 50% के लगभग है और यह एक समस्या है कि उनका काम अब भी घर के काम के साथ एक ओर जुड़ा हुआ काम माना जाता है। महिलाओं के सेवा काल में अनेक भेदभाव बरते जाते हैं जैसा कि भर्ती, उन्नति और सेवा निवृति के समय भेद-भाव।

बड़े-बड़े उद्योगों में महिलाओं को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह भी हमारे देश की विशेषताओं में से एक है कि मज़दूर महिलायें छोटे और दरमियाने उद्योगों में ही ली जाती हैं जहां वेतन और काम करने की दशा अधिक ख़राब होती है।

व्यवस्था और देखभाल वाली नियुक्तियों पर प्रायः पुरुष रखे जाते हैं और केवल 5% कनिष्ठ व्यवस्था के स्टाफ़ में और 2% ज्येष्ठ में महिलायें होती हैं अधिकतर मज़दूर महिलायें सेवा निवृति तक साधारण मज़दूर ही रहती हैं।

आजकल, प्रधानमंत्री, महिला-पुरुष-समानता को बढ़ावा देने वाले मुख्यालय का प्रमुख होने का भार संभाले हैं, पर यह ऐसी दशा में नहीं है कि यह भेदभाव मिटाने का काम शुरू हो सके।

पांच साल हुए जब महिला-पुरुष में समान रोजगार अवसर देने का कानून पारित हुआ था, पर ताज़ा संकेत यही मिलते हैं कि फुल टाइम काम न कर सकने वाली महिलाओं की वृद्धि हो रही है। तीन में से एक मज़दूर महिला पार्ट-टाइम काम करती हैं जिनकी काम-काज की दशा हर लिहाज़ से फुलटाइम मज़दूरों से बदतर है।

जापान इस बात के लिए कुख्यात है कि वहां मज़दूरों के काम-काज के घंटे अधिक हैं और महिलाओं को भी अधिक देर तक काम करना पड़ता है और इस प्रकार मज़दूर महिलाओं को फुल-टाइम काम करते हुए वर्कशाप और घर में भी अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

फैक्टरियों और कार्यालयों में अधिक नई प्रविधियों के आजाने से 24 घंटों काम चालू होते जा रहे हैं और महिलाओं के काम में भी रात के काम तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। परिणाम-स्वरूप "कारोशी" अर्थात अब अधिक काम के बोझ से बहुत मौतें होने लगी हैं और ऐसा हाल प्रबल आयु के मज़दूरों का भी हो रहा है।

स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा वर्कशापों में जहां रात को काम की आवश्यकता होती है, रोज़गार में अभी न लग सकने वालों की संख्या बढ़ी है और उनकी औसतन आयु 42 वर्ष है।

नर्सों और दूसरे चिकित्सा कर्मचारियों ने, जो ज़ेनरोरेन संघ के सदस्य हैं और संगठित हैं, इसके लिए कारवाई की है। उन्होंने रोगियों की बेहतर देखभाल के लिए, काम-काज में सुधार और नर्सों की संख्या बढ़ाने की मांगों को लेकर हड़तालें भी की हैं।

महिलाओं-पुरुषों के बीच भेदभाव को मिटाने के लिए संघर्ष ज़ेनरोरेन के सामने एक आवश्यक कार्य है। हम ऐसी कार्रवाइयों के लिए जदो-जहद कर रहे हैं जो केन्द्रीय व स्थानीय सरकारों और औद्योगिक व्यवस्थाओं से मांग करें कि वे ऐसे ठोस कदम उठायें जिन से वे कार्य-स्थलों, घरों, जनता नर्सरी स्कूलों में, दिन के देखभाल केन्द्रों में कार्य कर सकें और अपना कर्त्तव्य निभा सकें और प्रसूति छुट्टी व देखभाल का अवकाश मिले और इस नारे के नीचे सब जदोजहद करें कि "आओ हम अपने कार्यस्थलों और लोक-समाजों को अधिक मानवीय ढंग में बदलें"

अब जापान एक "आर्थिक महा-शक्ति" और "अमीर देश" के नाम से जाना जाता है। परन्तु केवल बड़े-बड़े एकाधिकार-उद्योग ही मोटे हुए हैं।

फिर भी, जापानी मज़दूर महिलायें अपने हित और अधिकारों के लिए सचमुच ही कठिन संघर्ष में जुट रही हैं। श्रीमती मिचिको मोचीज़ुकी ऐसी ही दृढ़ता से लड़ने वाली मज़दूर महिलाओं में से एक हैं जो व्यवस्था के भेद-भाव के आचरण के आगे कभी नहीं झुकतीं। मुझे गर्व है कि ऐसी मज़दूर महिलायें अब बढ़ती जा रही हैं। वे कामकाज की बेहतर दशा के लिए, मज़दूर महिलाओं के बेहतर लोक समाज के लिए और उनके बच्चों के लिए और अमन व लोकतंत्र के लिए काम कर रही हैं।

अब संसार का ध्यान खाड़ी-युद्ध पर लगा हुआ है। युद्ध के विरूद्ध आवाज़ें "जापानी सरकार, अमरीका को सहायता मत दो", युद्ध-सहयोग कोष के लिए कर-बढ़ोतरी का विरोध...कर बढ़ोतरी की राशि 70,000 येन (लगभग 1,300 रुपये) प्रति व्यक्ति...बच्चों समेत... ऐसी आवाज़ें महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक तेज़ हैं।

पिछली शरद ऋतु में, हम बड़ी कारंवाई की शक्ति रखने वाली जापानी सुरक्षा सेना को समुन्दर-पार भेजने वाले विधेयक को रोकने में समर्थ हुए और इसके विरुद्ध जनमत तैयार कर सके। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी यदि हम कहें कि महिलाओं ने इस जदोजहद के लिये पूरी ताक़त लगाई और जनमत तैयार किया।

यह स्वाभाविक ही है कि महिलायें, जो बच्चों को जन्म देती और पालती हैं युद्ध का विरोध पूरी ताक़त से करती हैं और हम संसार में तथा मध्य-पूर्व में कोई और हीरोशमा व नागासाकी न बनने देने के प्रयत्न जारी रखेंगी।

आओ हम इन देशों में युद्ध के विरूद्ध, अमन के लिए संघर्ष तेज़ करें और इन संघर्षों द्वारा मज़दूर महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय एकता मज़बूत करें।

तीसरे सम्मेलन की क्रे़डेंटियल रिपोर्ट

1. कुल संख्या प्रतिनिधियों (महिलाओं) की		437
प्रेक्षकों की		3
2. प्रतिनिधि महिला मज़दूर संघों की संख्या		85
3. राज्य के कुल ज़िले जिनका प्रतिनिधित्व उन्होंने किया।		104

4. अखिल भारतीय समन्वय समिति में भाग लिया गया और कब से		समन्वय समिति की राज्य समिति के सदस्य
10 वर्ष से ऊपर	4	—
7 और 10 के बीच	2	3
7 वर्ष से नीचे	7	31
	13	34

5. महिलाओं ने सभायें कीं : 11 राज्यों ने सभायें कीं।

का. मिचिको मोचीजुकी, मिनकोरोरेन (जापान) का भाषण

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का निमन्त्रण देकर आपने मुझे इतना मान दिया है। कलकत्ता में इतनी अधिकमहिलाओं से मिलकर मैं बहुत ही पुलकित हुई। मैंने अपने भाषण के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की हुई, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं? मैं आपको, संक्षेप में, अपने मुकदमे के बारे में कुछ बताऊंगी। मैं बताना चाहूंगी कि एयर इंडिया के विरुद्ध, परिचारिकाओं के लिंग-भेद पर जो मुकदमा ज़ेकिया जिला अदालत में दायर किया गया था, वह भारतीय विमान परिचारिकाओं के संघर्ष के साथ, हमारे हक में जा रहा है।

जापान में कम आयु पर निवृति की योजना हटा दी गयी थी, क्योंकि वहां तीन साल पहले समान-सुअवसर कानून लागू हो गया था। इसलिए मैंने एयर इंडिया की व्यवस्था को विमान परिचारिकाओं की निवृति-आयु बढ़ाने के लिए निवेदन किया। क्योंकि, वास्तव में, मुझे अपना काम प्यारा लगता था और मैं उड़ान जारी रखना चाहती थी। मैंने आपस में बातचीत द्वारा तय करने की बहुत कोशिश की परन्तु कम्पनी का उत्तर सदा नहीं ही रहा। इसलिए, आखिर में मुझे मुकदमा करना पड़ा। दो साल हुए मुआमला एयर इंडिया की अनुचारिकाओं के संघर्ष के सहयोग से तय हो गया। मैं इस ऐतिहासिक क्षण पर बहुत खुश हुई। तब मैं 45 साल के बाद भी उड़ान भरने लगी। पर अचानक पिछली फरवरी के महीने, जब इस मुकदमे के निर्णय को 5 महीने बीत गये थे तो मुझे बिना किसी कारण बताये, ज़मीन पर उतार दिया गया। मेरे पास अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के अतिरिक्त कोई चारा नही था। एक जज की मौजूदगी में मुआमला तय हुआ। एयर इंडिया की मौजूदा कार्रवाई मज़दूर संघ के अधिकारों का मज़ाक उड़ाती है और एक असह्य षड्यंत्र है। मैं और हम सारे जापान वायुयान विभाग के कर्मचारी यह महसूस करते हैं कि यह एक ग़लत और अजीब सी कार्रवाई है जिसकी हमें खुल कर भर्त्सना करनी चाहिए।

यह मेरा दूसरा मुकदमा होने के कारण बहुत कष्ट-दायक भी है। परन्तु मुझे न्याय में विश्वास है और जब तक मैं मुकदमा जीत न लूं, छोड़ूंगी नहीं। खुशकिस्मती से, मेरे जापान में बहुत मित्र हैं जो मेरी हर तरह से सहायता करते हैं। ज़ेकिया ज़िला अदालत में यह मुकदमा जीतने का मेरा पक्का इरादा है। अगली बार जब मैं आपको मिलूंगी, मुझे विश्वास है मैं आपको शुभ समाचार दे सकूंगी।

आपके प्यार भरे निमन्त्रण का बहुत-बहुत धन्यवाद!

महिला सम्मेलन में पारित प्रस्ताव

का० बी० टी० रणदिवे

12-13 फरवरी, 1991 को कलकत्ता में सम्पन्न कामगार महिलाओं का यह तीसरा सम्मेलन सीटू के संस्थापक अध्यक्ष तथा 1929-30 से कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठतम सदस्य कामरेड बी. टी. रणदिवे के निधन पर गंभीर शोक का इजहार करता है। वर्ग सघर्ष के आधार पर मजदूर वर्ग को लामबद करने और उनके हितों की रक्षा करने वाले इस महान व्यक्तित्व का इन्तकाल मजदूर वर्ग आंदोलन खासकर कामगार महिलाओं के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

राष्ट्रीय व अतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की इस भयानक नाजुक घड़ी में ऐसे महान वामपंथी विचारक की मृत्यु मजदूर वर्ग एव जनवादी ताकतों के लिए एक भारी धक्का है। आजादी के पूर्व ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन के दौरान का० बी. टी. आर को कई बार जेल जाना पड़ा। आजादी के बाद भी कांग्रेस शासनकाल में भी उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा व भूमिगत रहना पड़ा। प्रमुख मार्क्सवादी विचारक का० बी. टी. आर ने विभिन्न सवालों पर अनेकों लेख व किताबें लिखीं। समाज में आमतौर पर महिलाओं की और खासतौर पर कामकाजी महिलाओं की प्रतिष्ठा को ऊपर उठाने और ट्रेड यूनियन आंदोलन के महिलाओं के प्रति सामंतवादी दृष्टिकोण को बदलने के निरंतर प्रयास के जरिए महिलाओं को श्रमिक आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका में लाने के लिए का० बी. टी. आर धैर्य से प्रयास करते रहे।

का० बी. टी. आर ने अपना जीवन मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा के मूल तत्व को समर्पित कर दिया। उन्होंने इस मत के खिलाफ किसी भी प्रयास के विरुद्ध जिहाद छेड़ा। उन्होंने मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी भूमिका में पूरा विश्वास व्यक्त किया। मजदूर वर्ग के शिक्षक के रूप में उन्होंने श्रमिक आंदोलन को संकीर्ण अर्थवाद से ऊपर उठकर अतर्राष्ट्रीय सर्वहारा हितों की स्तर तक लाने के लिए अंतहीन संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा पूंजीवादी शोषण के खिलाफ एक सही और जुझारू वर्ग सघर्ष की लाइन को विकसित करने के लिए मजदूर वर्ग के समाजवादी चेतना को बढ़ाने के लिए बल दिया।

का० बी. टी. आर जैसे महान व्यक्तित्व के चले जाने से पैदा हुए शून्य को सीटू द्वारा अपनी राज्य इकाइयों व सम्बद्ध सभी के एकजुट और साझा प्रयास से ही भरा जा सकता है। इस सम्मेलन में शामिल हम महिलाएं यह शपथ लेती हैं कि उनके छोड़े गए अधूरे काम को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेंगी। हम अपने प्रिय नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

का० मोहम्मद इसमाइल

12-13 फरवरी '91 को कामगार महिलाओं की कलकत्ता में आयोजित यह तीसरा सम्मेलन सीटू के उपाध्यक्ष एवं वयोवृद्ध ट्रेड यूनियन व कम्युनिस्ट आंदोलन के नेता कामरेड मोहम्मद इस्माइल की स्मृति को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

का० इस्माइल का जन्म 1910 में उत्तर प्रदेश में उन्नाव के एक भूमिहीन परिवार में हुआ था। उनका सारा जीवन साम्राज्यवाद तथा बुर्जुआ जमींदारी के विरुद्ध अथक संघर्ष का एक दस्तावेज है। किशोरावस्था में ही वे खिलाफत आंदोलन से जुड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और उन्होंने सभी प्रमुख उद्योगों जैसे जूट, रेलवे, बन्दरगाह व गोदी, ट्राम कर्मचारी तथा सड़क परिवहन आदि में श्रमिक आंदोलन गठित करने का काम किया। उन्होंने मजदूर आन्दोलन को साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की मुख्य धारा से जोड़ने में मुख्य भूमिका अदा की।

उन्होंने बड़े उद्योगों में ही नहीं बल्कि असंठित क्षेत्रों में भी जैसे बीड़ी, सिलाई उद्योग व बंगाल के रिक्शा चालकों को भी संगठित करने का काम किया व उनकी समस्याओं को गहराई से समझा। उनका सारा जीवन मजदूर वर्ग व समाजवाद को समर्पित रहा।

सम्मेलन दिवगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अधूरे छूटे काम को आगे बढ़ाने की शपथ लेता है, सम्मेलन सीटू की पश्चिम बगाल राज्य समिति तथा उनके परिवार के सदस्यों के प्रति शोक व संवेदना व्यक्त करता है।

का० सरोज मुखर्जी

कामगार महिलाओं की यह अखिल भारतीय सम्मेलन का० सरोज मुखर्जी की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करता है। वे सी. पी. आई. (एम) के पोलित ब्यूरो के सदस्य, पार्टी की पश्चिम बंगाल राज्य समिति के सचिव तथा राज्य वाममोर्चा के चेयरमैन थे।

का० सरोज मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में हुआ तथा वे 1924 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1931 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बनने के बाद वे कम्युनिस्ट पार्टी के 'होल टाइमर' बने। इस प्रकार उन्होंने अपने आपको मजदूर हितों के लिए समर्पित कर दिया।

का० सरोज मुखर्जी को आजादी के संघर्ष के दौरान तथा बाद में कांग्रेसी शासन के समय अपने जीवन के बारह वर्ष कारावास में बिताने पड़े। इसके बाद अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इन्हें पांच वर्ष तक भूमिगत रहना पड़ा।

का० सरोज मुखर्जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। जीवन भर अपने लेखन से उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद तथा मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारों का पालन किया व आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया।

उनकी मृत्यु से मजदूर वर्ग तथा वामपंथी आंदोलन ने अपना एक सशक्त व जुझारू नेता खो दिया। सम्मेलन दिवंगत नेता के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता है तथा का० कनक मुखर्जी व परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति शोक व्यक्त करता है।

कामगार महिलाओं पर प्रस्ताव

12-13 फरवरी 1991 को कलकत्ता में हुए कामगार महिलाओं के तीसरे अखिल भारतीय सम्मेलन महिलाओं के सगठित, असंगठित व नौकरी के क्षेत्रों में काम के बेहद खराब स्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। साथ ही उनके साथ बरते जाने वाले भेद-भाव व उसकी असुरक्षा की स्थिति पर चिंता प्रकट करता है।

कुल श्रम शक्ति में महिलाओं का प्रतिशत जहां का तहां है। जहां अनेक विकासशील देशों में यह प्रतिशत 30% से 40% है वहीं भारत में 11% से 12% है और उनमें भी और कमी के आसार नजर आ रहे हैं। वर्तमान औद्योगिक संकट और अंधाधुंध आधुनिकीकरण के कारण खानों तथा अनेक उद्योगों में महिलाओं की सुरक्षा स्थितियां प्रभावित हुई हैं। जूट, काजू तथा हैंडलूम जैसे परंपरागत उद्योगों में महिलाओं की स्थिति और खराब हो रही है।

सम्मेलन का मत है कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर न बढ़ाने और उन्हें दफ्तरों, शैक्षिक संस्थानों व अस्पतालों तक ही सीमित रखने की भारत सरकार की नीति के कारण ही महिला कामगारों की संख्या गिर रही है। तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं को काम न मिल पाने का प्रमुख कारण व्यवसायिक प्रशिक्षण का अभाव है। सरकारी क्षेत्रों में महिला कामगारों की संख्या जो कि लगभग हैं, सरकार के गैर-जिम्मेदाराना उपेक्षापूर्ण रवैये का प्रमाण हैं।

समान सुविधायें देने के मामले में सरकारी देखरेख के अभाव में महिलाओं के साथ भेद-भाव पूर्ववत् कायम है। सरकारी क्षेत्र में भी महिलाओं के साथ सेवानिवृत्ति की उम्र, आवास तथा चिकित्सा सुविधाओं के मामले में भी भेद-भाव बरता जाता है अनेक संस्थानों तथा सरकारी नौकरियां भी दो बच्चों के जन्म के पश्चात् गर्भावस्था अवकाश जैसी सुविधाएं देना बन्द कर दिया जाता है इसके अतिरिक्त क्रेच, आरामगृह, अलग जन-सुविधाओं जैसी सुविधाओं के न होने के अलावा उन्हें छेड़-छाड़ जैसे भेदभावों का सामना करना पड़ता है। ठेके व आकस्मिक महिला कामगारों की सुरक्षा के सवाल पर कानून द्वारा उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता।

इन परिस्थितियों से मजबूर होकर तथा सीटू की यूनियनों के प्रयत्नों से अब अनेक महिलाएं संघर्ष की राह पर आ रही हैं। जहाँ भी प्रयास किया गया कामगार महिलाएं आन्दोलन के प्रति अपनी अनेक समस्याओं के बावजूद सकारात्मक रुख अपना रही हैं। व्यावसायिक केन्द्रों जैसे एल. आई सी., जी. आई. सी. चिकित्सा संस्थान, विद्युत बोर्ड तथा अन्य उद्योगों में काम करने वाली महिलाएं भी बड़ी संख्या में अपनी मांगों के लिए आगे आ रही हैं। हाल ही में बंगलौर में हुआ सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के सम्मेलन में आन्दोलन को मजबूत बनाने की नयी संभावनाओं को उजागर किया है। इसी तरह आंगनवाड़ी कर्मचारी (महिलाएं), जो कि देश

भर में न्यूनतम आय पाती है, देशव्यापी संघर्ष में उतर चुकी हैं तथा अखिल भारतीय फेडरेशन के रूप में संगठित भी हो गयी है।

सम्मेलन डब्ल्यू. एफ. टी. यू. द्वारा महिलाओं की समस्याओं पर सितम्बर 1989 में पांचवां विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन आयोजित करने की सराहना करता है। सम्मेलन में महिलाओं की समस्याओं पर ट्रेड यूनियनों की जिम्मेदारी व उनके हितों की रक्षा की बातें कही। यह सम्मेलन पांचवें विश्व श्रमिक संघ सम्मेलन की मांगों का समर्थन करता है।

बम्बई सम्मेलन के फैसलों को लागू करने की दिशा में कुछ राज्य समितियां व औद्योगिक व राष्ट्रीय संघों द्वारा उठाये गये कदमों की यह सम्मेलन सराहना करता है।

सम्मेलन सीटू से जुड़े श्रमिक संघों का ध्यान आकर्षित करता है कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका, खासकर असंगठित क्षेत्रों में महिलाएं इन सुधारों से सर्वथा अप्रभावित है व उनकी ओर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। बहुत सी राज्य समितियों द्वारा अभी कोऑर्डिनेशन समितियां बनना बाकी है तथा कुछ मामलों में जहां इनका गठन हो गया है, वहां काम-काज नहीं हो रहा है। जहां शुरुआत हो भी गयी है वहां भी महिलाओं को नेतृत्व में लाना बाकी है। सम्मेलन सभी यूनियनों से इन कमियों को दूर करके बेहतर प्रगति की अपेक्षा करता है।

मूल्य वृद्धि पर

12 से 13 फरवरी 1991 को संपन्न महिलाओं का यह अखिल भारतीय सम्मेलन मूल्यों में हुई बेतहाशा वृद्धि पर चिंता व्यक्त करता है, जिसने अनेक परिवारों को बदहाल कर दिया है।

इन परिस्थितियों में जब कि पिछले वर्ष गेहूँ का 170 लाख टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ तथा इस वर्ष भी अच्छी फसल की उम्मीद है, कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। दो वर्ष के समय में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 30% से 70% तक वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचनांक 1960 आधार से 900 प्वाइंट अधिक हैं, जिसका अर्थ है कि जीवन यापन नौ गुना महंगा हो गया है। यह विभिन्न केन्द्र सरकारों की गलत नीतियों का परिणाम है। जिनमें अप्रत्यक्ष करों की मात्रा गलत ढंग से बढाना, बहुराष्ट्रीय निगमों के हस्तक्षेप, रुपये की कीमत में गिरावट आदि शामिल हैं।

खेद का विषय है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा इन नीतियों को बदलने में असफल रहेगा व उन्हीं नीतियों के कायम रहने से कीमतें लगातार बढ़ती रहीं। खाड़ी की घटनाओं से स्थिति और बिगड़ी। यह चिंता का विषय है कि चन्द्रशेखर सरकार उन्हीं नीतियों पर और भी तेजी से अमल कर रही है। मुद्रा स्फीति दोहरे अंकों में पहुंच गयी है। विश्व मुद्राकोष तथा विश्व बैंक में दबाव में आकर सब्सिडी घटाने से जन वितरण प्रणाली को खतरा उत्पन्न हो गया है। खाड़ी युद्ध का लाभ उठाकर कालाबाजारियों ने जमाखोरी शुरू की है जिससे कीमतों में और वृद्धि हुई है।

सम्मेलन यह मांग करता है कि सरकार सब्सिडी घटाने जैसी नीतियों को बदले तथा जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाकर कम कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को अधिक संख्या में भेजे व इस व्यवस्था को और व्यापक बनाये। कालाबाजारी व जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

सम्मेलन मजदूर वर्ग का आह्वान करता है कि वह मिलकर इन मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करे व सरकार को अपनीनीतियां बदलने पर मजबूर करे।

सम्मेलन राष्ट्रीय प्रचार समिति द्वारा 13 मार्च को मूल्य वृद्धि विरोधी दिवस के रूप में मनाये जाने के फैसले का पूरा समर्थन करता है तथा सबद्ध यूनियनों से 28 फरवरी से विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान करता है, जो 13 मार्च को समाप्त होंगे।

वाम-मोर्चा सरकार पर

12-13 फरवरी 1991 तक कलकत्ता में सम्पन्न हुए कामगार महिलाओं का सम्मेलन हाल ही में केरल में हुए जिला परिषद के चुनावों में वाम-लोकतान्त्रिक मोर्चे की निर्णायक जीत पर केरल की जनता को बधाई देता है। इस जीत के साथ ही पश्चिमबंगाल में म्युनिसिपिल और

कारपोरेशन चुनाव में वाम मोर्चे की जीत के द्वारा लोगों ने प० बंगाल और केरल के वाम-मोर्चा सरकारों के द्वारा आम जनता के हित के लिए और देश तथा जनता के सामने खड़ी समस्याओं के समाधान के लिए वैकल्पिक रास्ता देने की शानदार भूमिका की पुष्टि की है। चुनाव परिणामों ने यह भी सिद्ध किया है कि जनता ने इस तथ्य को नोट करने में कोई चूक नहीं की है कि इन दोनों राज्यों में किस प्रकार वाम जनवादी और धर्मनिरपेक्ष नीतियों को निडर होकर तमाम विरोधी शक्तियों और केन्द्र में कांग्रेस (ई) के शत्रुता पूर्ण रवैये के चलते भी अमल में लाया गया। सम्मेलन नोट करता है कि ये दोनों सरकारें देश भर में लोगों को साम्प्रदायिक ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करने, देश की एकता की रक्षा तथा लोकतन्त्र की सुरक्षा करने के लिए लामबन्द करती हैं। शक्ति व साधनों के सीमित होने के बावजूद कामगार वर्ग की मांगों के लिए इन सरकारों द्वारा उठाये गये कदम, वामपंथी सरकारों के दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। सम्मेलन इन वामपंथी सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार के अलोकतान्त्रिक कानूनों को लागू न करने की सराहना करता है जिन्हें केन्द्र सरकार जबर्दस्ती थोपना चाहती थी। सम्मेलन इन सरकारों द्वारा विभिन्न संस्थानों के लोकतन्त्रीकरण तथा प्रशासन में लोगों की भागेदारी के लिए उठाये गये कदमों की अत्यन्त सराहना करता है। लोकतांन्त्रिक चुनावों द्वारा ग्राम पंचायतों के पुनर्जीवन से ग्रामीण जनता की विकास कार्यों में भागेदारी बढ़ाने व उनके जीवनस्तर को सुधारने तथा उनकेअपने संघर्षों के लिए उन्हें संगठित करना संभव हुआ है। सम्मेलन इस बात पर चिन्तित है कि इन सर-कारों द्वारा सत्ता संभालने के बाद से प्रतिक्रियावादी ताकतों तथा शासक वर्ग का प्रचार अनेक रूपों में बढ़ा है। बुर्जुआ संविधान द्वारा इन सरकारों के लिए पैदा की गयी मूल समस्या यह है कि बहुत से महत्त्वपूर्ण अधि-कार केन्द्र के हाथों में हैं। यही नहीं प्रचार माध्यम इनकी छवि को बिगाड़ने के लिए तरह-तरह के प्रचार कर रहे हैं। केरल में कांग्रेस (ई) रूढ़िवादी ताकतों के साथ मिलकर वामपंथी सरकार को गिराने के लिए लगातार प्रयासरत रही है। प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने खुले रूप में पश्चिम बंगाल वाम मोर्चा सरकार को धमकी दी और कांग्रेस(ई) को राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के लिए उकसाया। सम्मेलन इन राज्यों की सरकारों द्वारा मज़दूर वर्ग और जनवादी जनता के हितों के लिए चलाये गये अनवरत संघर्ष को भी दर्ज और उसकी प्रशंसा करता है। वक्रेश्वर पावर प्लांट को पूरा करने के लिए जनता द्वारा दी गयी सहायता उस बात का जबर्दस्त प्रमाण है कि वाम मोर्चा सरकार को उनका पूरा समर्थन है। सम्मेलन पश्चिम बंगाल और केरल सरकारों द्वारा निभाई गयी भूमिका का विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहता है जिसमें देश की दलित जनता जो वर्तमान बुर्जुआ सामंती शासक वर्ग की नीतियों के विकल्प हेतु संघर्ष कर रही है, उसे पूरा महत्व दिया गया है। इस सिलसिले में बर्खास्त किये जाने से पहले तक त्रिपुरा सरकार का भी उल्लेख किया जा सकता है। सम्मेलन मज़दूर वर्ग और देश की तमाम जनवादी ताकतों का आह्वान करता है कि वे पश्चिम बंगाल व केरल सरकारों को तानाशाही हमलों के खिलाफ जनवादी अधिकारों की रक्षा करने के लिए देश की एकता व अखंडता की हिफाज़त करने के लिए अपना भरपूर समर्थन दें।

फार्म 4

1. प्रकाशन	: 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
2. प्रकाशन अवधि	: मासिक
3. मुद्रक का नाम	: विमल रणदिवे
क्या भारत के नागरिक हैं ?	: हाँ
पता	: 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
4. प्रकाशक का नाम	: विमल रणदिवे
पता	: 6, तालकटोरा रोड, : नई दिल्ली-110001
5. संपादक का नाम	: विमल रणदिवे
क्या भारत के नागरिक हैं ?	: हाँ
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्रों के स्वामी हों।	: सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यू०, 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

मैं विमल रणदिवे एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनांक 1-4-1991 विमल रणदिवे

(प्रकाशक के हस्ताक्षर)

दिल्ली में आंगनवाडी महिलाओं की प्रभावशाली रैली

आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा सहायिकाओं की 4 मार्च को दिल्ली में आयोजित रैली, आयोजकों की आशा से कहीं ज्यादा कामयाब रही। रैली का आयोजन आंगनवाड़ी महिलाओं के बीच सक्रिय 44 मुख्य संगठनों द्वारा गठित अखिल भारतीय संघर्ष समिति ने किया था। होली के त्यौहार के बावजूद आंगनवाड़ी महिलाएं भारी तादाद में दिल्ली पहुंचीं। उन्हें ठहराने के लिए कैंप की व्यवस्था लाल किले के मैदान में की गयी थी। सीटू स्वागत समिति ने 1900 महिलाओं का आगमन दर्ज किया। इनमें राजस्थान से 886, महाराष्ट्र से 880, पंजाब से 700 महिलाएं थीं। पश्चिम बंगाल से 22, उत्तर प्रदेश से 75, आंध्र प्रदेश से 16, हिमाचल से 10, जम्मू-कश्मीर से 7 और तमिलनाडु से 3 महिलाएं आयीं। अनेक महिलाएं रैली के ही वक्त दिल्ली पहुंची।

आंगनवाड़ी महिलाओं की यह महत्वपूर्ण रैली कैंप स्थल से सुबह साढ़े नौ बजे शुरू हुई। जुलूस के आगे फेडरेशन की नेता चल रही थी। देश भर से आयी आंगनवाड़ी महिलाओं की इस रैली के आगे पंजाब की महिलाओं का जत्था था, जो अखिल भारतीय संयुक्त संघर्ष समिति का बैनर लिये चल रहा था, जुलूस का नेतृत्व करनेवालों में अहिल्या रांगणेकर, विमल रणदिवे, नीलिमा मोइत्रा के अलावा एटक, एन एफ टी यू, एस एम एस तथा अन्य संगठनों की नेता शामिल थीं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह जुलूस अत्यंत अनुशासित जुलूस था। रैली में तमाम ट्रेड यूनियनों की नुमाइंदगी करनेवाली लगभग 12,000 महिलाएं शामिल थीं।

आंगनवाड़ी महिलाओं की दयनीय स्थिति की जानकारी हर सरकार को रही है, चाहे वह राजीव सरकार हो, वी पी सरकार हो या चंद्रशेखर सरकार। वी पी सिंह सरकार ने उनकी समस्याओं को लेकर कुछ वादे किये थे। संसद में उनपर बहस तो हुई, लेकिन नवबर में वी पी सिंह सरकार गिरा दी गयी। इसके बाद पहली फरवरी को संयुक्त संघर्ष समिति ने एक धरना आयोजित किया और श्रम मंत्री रामजीलाल सुमन ने वेतन बढ़ोतरी का वादा किया। बहरहाल, देश भर की आंगनवाड़ी महिलाएं इस आशा के साथ दिल्ली आयीं कि विभिन्न सरकारों के वादों का कुछ नतीजा अवश्य निकलेगा। इसके साथ ही उनका संघर्ष जारी रखने का निश्चय भी दृढ़ है।

बोट क्लब की रैली

कैंप से सुबह साढ़े नौ बजे शुरू हुआ जुलूस दोपहर साढ़े बारह बजे बोट क्लब पहुंचा। रैली के मंच से वक्ताओं के भाषण शुरू हो चुके थे और जुलूस का पिछला सिरा अभी बोट क्लब पर नहीं पहुंचा था। रैली की कार्रवाई का संचालन एक अध्यक्षमंडल ने किया, जिसमें गीता महाजन (एटक), एल एम पाटिल (महासंघ); किरण अरोड़ा (एच एम एस), राजकुमारी एन एफ टी यू) विमल रणदिवे (सीटू) शामिल थीं। रैली का मुख्य प्रस्ताव विमल रणदिवे ने पेश किया। प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने देश भर से आयी आंगनवाड़ी कर्मचारियों का स्वागत किया और तमाम संगठनों की एकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि यहां एकत्रित महिलाओं की मुख्य मांग यह है कि उनकी सेवाओं को केंद्र सरकार के तहत नियमित कर दिया जाय और जब तक ऐसा नहीं होता, उन्हें उचित न्यूनतम वेतन दिया जाय।

रैली को सी पी आइ (एम) सांसद सरला माहेश्वरी सी पी आइ के इन्द्रजीत गुप्त, एच एम एस के समरेंद्र कुडू और जनता दल के शरद यादव ने संबोधित किया।

आंगनवाड़ी महिलाओं के हालात का जिक्र करते हुए सरला माहेश्वरी ने कहा कि ये महिलाएं आज भी 110रु. से लेकर 225 रु. तक वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। उन्होने बताया कि प. बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने अवश्य उन्हें कई लाभ दिये हैं, जैसे वहां आंगवाड़ी महिलाओं को दो बार प्रसूति अवकाश। त्यौहार पर बोनस और 7 या 8 साल की सेवा के बाद एक इम्तहान पास करने पर सुपरवाइजरी पद लाभ मिल रहे हैं। उन्होंने आंगनवाड़ी महिलाओं का आह्वान किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे अपना संघर्ष जारी रखें।

सी पी आइ के महासचिव इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि इस सरकार का भरोसा नहीं कि यह कब तक रह पायेगी। लेकिन हम लोग आंगनवाड़ी महिलाओं का सवाल पहले भी संसद में उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। समरेंद्र कुंडू और सांसद सरला सिन्हा ने भी आंगनवाड़ी महिलाओं का पूरा साथ देने का वादा किया। ट्रेड यूनियन केंद्रों की ओर से सीटू के पी के गांगुली, एटक के एल महेंद्र, एच एम एस के बी एन राजहंस, एन एफ टी यू के बी के प्रसाद और इंटक के कुमार रंगराजन ने रैली को संबोधित किया। सीटू प्रतिनिधि पी के गांगुली ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आंगनवाड़ी महिलाओं के काम के हालात पर प्रकाश डाला और कहा कि सीटू हमेशा की तरह उनकी मांगों के लिए संघर्ष करती रहेगी।

रैली को आंगनवाड़ी महिलाओं ने भी संबोधित किया। वास्तव में उनके भाषणों ने ही उनकी दयनीय दशा को उजागर किया। कई वक्ता तो इतने भावावेश में थीं कि अध्यक्षमंडल के लिए उन पर नियंत्रण मुश्किल हो रहा था। उन्होंने बताया कि उन्हें वेतन के नाम पर क्या मिलता है, किस तरह सी डी ओ उनके साथ अनुचित और अभद्र व्यवहार की कोशिशें करते हैं, कितना भ्रष्टाचार उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है और किस तरह बर्खास्तगी की तलवार हमेशा उनके सिर पर लटकी रहती है। यद्यपि विभिन्न फेडरेशनों की ओर से बोलने वाली महिलाओं की तादाद काफी थी, किंतु समय की कमी को देखते हुए केवल 15 महिलाओं को ही बोलने का वक्त दिया जा सका। राजेंद्र कौर, गीता महाजन, पुष्पा शर्मा, मालूसरे, फातिमा और अन्य महिलाओं ने अत्यंत साहस के साथ आंगनवाड़ी महिलाओं की वास्तविक स्थिति का खुलासा किया।

अहिल्या रांगणेकर ने आंगनवाड़ी आंदोलन के बारे में बताया और कहा कि यह संघर्ष का ही नतीजा है कि महाराष्ट्र से लगभग 1000 महिलाएं यहां आयी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमें एकजट संघर्ष जारी रखना होगा, क्योंकि एकता के बिना सरकार से कोई मांग मंजूर नहीं करायी जा सकती। अध्यक्षमंडल की ओर से समापन भाषण एल एम पाटिल ने किया।

न्यूनतम वेतन की मांग

रैली के अगले रोज, यानी 5 मार्च की सुबह संयुक्त संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य रूप से वेतन बढ़ाये जाने की मांग सामने रखी। इसका वादा वी पी सिंह सरकार ने किया था। प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि सहायिकाओं तथा कर्मचारियों के वेतन में 200रु. से 300 रु. की वृद्धि की जा रही है। इस आशय की सिफारिश की जा चुकी है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को बताया कि इन सर्वाधिक शोषित महिला कामगारों के वेतन वृद्धि देने से सरकार को केवल 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा, जोकि 1991-92 के संभावित कुल व्यय का 0.5 फीसद है। प्रधानमंत्री का कहना था कि वह आंगनवाड़ी महिलाओं की स्थिति जानते हैं। वहां उपस्थित महिलाओं ने ही प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या रुपये या 200 रुपये माहवार वेतन पर गुजारा किया जा सकता है ? प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि मांगों को पूरा करने के बारे में फेडरेशनों की एक बैठक बुलायी जायगी और यह काम आम बजट पेश करने से पहले किया जायगा।

संघर्ष समिति अपना भावी कार्यक्रम अगले महीने तय करेगी। मौजूदा स्थिति में संघर्ष ही शेष बचता है।

अपने भाषण में एक आंगनवाड़ी महिला ने ठीक ही कहा कि हर बार प्रधानमंत्री से मिलते हैं। हमसे वादे किये जाते हैं, अच्छी बातें कही जाती हैं और सरकार गिर जाती है। अब तो हमें तय करना चाहिए कि हम ऐसी सरकार चुनें, जिसके बारे में हमें विश्वास हो कि वह हमारे साथ न्याय करेगी।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये

वार्षिक चन्दा : 10 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी ग्राई टी यू 6, ताल कटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

अखिल भारतीय संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 4 मार्च 1991 को बोट क्लब की रैली में रखा गया प्रस्ताव

लाखों महिलाएं केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित आंगनवाड़ियों में वर्कर और सहायिका का काम अत्यन्त अल्प वेतन पर करती हैं। सहायिका को प्रतिमाह 100 रु० वर्कर को 250 से 300 रु० तक वेतन मिलता है। आई. सी. डी. एस. की यह योजना जिस तरह पूरे देश में लागू है उसमें महिलाओं को कम वेतन, बच्चों के के प्रति लापरवाही, जच्चा-लाभ कानून तथा छुट्टी का अभाव, वरिष्ठ अधिकारियों का भ्रष्टाचार तथा पुरुष कर्मचारियों का दुर्व्यवहार आदि का सामना करना पड़ता है। जो वेतन मिलता है उससे कोई भी जिन्दगी नहीं गुजार सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा सूचित 325 रु० वेतन को भी किसी ने लागू नहीं किया है। जब मांग रखी जाती है तो उपहास किया जाता है कि 'समाज सेवक' को मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें यह भी बताया जाता है कि उनका कामपार्ट-टाईम है और यदि वे वेतन बढ़ाने की मांग करती हैं तो आई. सी डी. एस. योजना का विस्तार रोक दिया जायेगा। एक खतरा यह भी है कि यदि विदेशी एजेंसियों का पैसा आना बंद हुआ तो यह योजना समाप्त करनी पड़ेगी—बावजूद इसके कि समाज कल्याण मंत्री गर्व से कहते हैं कि पूरी दुनिया में महिलाओं के विकास के लिए इस तरह की यह इकलौती योजना है। भारत सरकार की गलत अर्थ नीति की और आधुनिकीकरण की वजह से 50 लाख बेरोजगार महिलाएं रोजगार ढूंढ़ने वालों की सूची में हैं। उन्हें मजबूर होकर असंगठित क्षेत्र में ज्यादा मेहनत वाला काम कम वेतन पर करना पड़ता है। इसलिए हम निम्नलिखित मांगें करते हैं—

1. आंगनवाड़ी वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी की तरह स्थायी किया जाय।
2. जब तक स्थायी नहीं किया जाता है तब तक न्यूनतम वेतन लागू हो।
3. शैक्षिक पात्रता और अनुभव के आधार पर उच्चतर श्रेणी में तरक्की का रास्ता खुला रहे। 7-8 साल वर्कर का काम करने पर सुपरवाइजर के पद पर तरक्की की जाय।
4. कम से कम दो बच्चों तक जच्चा-सुविधा का लाभ हो।
5. सरकारी नियमों के अनुसार सालाना छुट्टी, बीमारी की छुट्टी तथा रविवार और अन्य सरकारी छुट्टियां मिलें।
6. त्यौहार का बोनस मिले।
7. प्रशिक्षण सुविधा हो।
8. स्वास्थ्य और पोषक आहार योजनाओं के लिए ईंधन, दवाइयां तथा पोषक आहार का सही मात्रा में वितरण हो।
9. यातायात भत्ता मिले।
10. योजना समिति पर यूनियन का एक प्रतिनिधि हो।

हमें आशा है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें आंगनवाड़ी कर्मचारियों के प्रति अपना रवैया बदलेंगे और उनकी सेवा तथा कड़ी मेहनत का महत्त्व जानते हुए हमारी 'जायज मांगों को तुरन्त मान्य करेंगे।

फेडरेशन का नाम	हस्ताक्षर
1. ऑल इण्डिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स	विमला रणदिवे,
2. अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कामगार यूनियन (एन.एफ.टी.यू.)	बी. के प्रसाद,
3. अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स फेडरेशन (ए.आई.टी.सी)	के.एल. महेन्द्र,
4. अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ	एम.ए. पाटिल,
5. एच.एम.एस. आंगनवाड़ी यूनियन	बी.एन.राजहंस।

त्रिपुरा राज्य महिला मजदूरों की पहली कन्वेंशन

त्रिपुरा राज्य महिला मज़दूरों की पहली कनवेनशन राज्य स्तर पर महिला मजदूरों की समन्वय समिति की कनवेनशन 16 दिसम्बर 1990 को अगरतला में हुई।

सरकारी कर्मचारी, नर्सें, सरकारी अध्यापक, अर्ध-सरकारी कर्मचारी और सीटू की संस्थाओं समेत 31 संगठनों ने इसमें भाग लिया। सभा में उपस्थित 45 प्रतिनिधियों में से अलग-अलग संस्थाओं से आये प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया।

कनवेनशन का उद्घाटन सीटू के प्रधान का. वैद्यनाथ मज़ूमदार ने किया। का. मज़ूमदार ने पूरे देश में महिला मज़दूरों के विशेष और अति महत्वपूर्ण समस्याओं के संघर्ष के लिए समन्वय समिति बनाने की आवश्यकता का वर्णन किया।

का. नृपेन चक्रवर्ती, सी. पी. एम के पोलियोब्यूरो के सदस्य वहां मुख्य अतिथि थे। का. चक्रवर्ती ने पूरे देश में महिला मज़दूरों की अनेक समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया। वह कहते हैं कि यद्यपि संविधान में कई कानूनी व्यवस्थायें और धारायें हैं पर इन्हें जारी रखने के लिए लागू नहीं किया जाता। देश की मज़दूर शक्ति में 30% महिलायें हैं। केंद्रीय सरकार और न ही राज्य सरकार इसे लागू करने का कोई कदम उठा रही हैं। काम करने के घंटों का हिसाब ठीक से रखा नहीं जाता। अनपढ़ मज़दूर महिलाओं को पढ़ाने का कोई बाकायदा कदम नहीं उठाया गया।

उन्होंने महिला मज़दूरों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वह अपने आपको समन्वय समिति में संगठित करें जिससे वे व्यवस्था की ग़ैर-कानूनी और शोषण करने वाली नीतियों के विरुद्ध लड़ सकें।

उन्होंने सीटू नेतृत्व को भी याद दिलाया कि वह विशेषकर मज़दूर महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए उचित कदम उठायें और धीरे-धीरे उन्हें मज़दूर संघ के नेतृत्व में लायें।

सभा का आयोजन एक प्रेसीडियम द्वारा किया गया जिसमें कां मंगलेसवरी देब बरमा, का. अंजली सरकार और का. सत्यामानी कांड शामिल थे।

का. मंजुलिका बोस और का. संध्या अचर्जी संयुक्त संयोजिक चुने गये। 25 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बना दी गयी।

31-12 90 के वार्षिक विवरणपत्रों के अनुसार सीटू की महिला सदस्यता का विवरण :

राज्य	1989
अंडेमान व निकोबार	—
आंध्रप्रदेश	4,554
आसाम	9,631
बिहार	3,684
दिल्ली	1,787
गोआ	147
गुजरात	528
हरियाणा	841
हिमाचल प्रदेश	—
कर्नाटक	13,909
केरल	1,39,909
मध्यप्रदेश	1,204
महाराष्ट्र	1,454
उड़ीसा	7,436
पंजाब	4,235
राजस्थान	376
तमिलनाडू	7,272
त्रिपुरा	3,199
उत्तर प्रदेश	981
पश्चिम बंगाल	51,566
कुल	2,59,704 लगभग

कामगार महिलायें और सीटू का सातवां सम्मेलन

□ विमला रणदिवे

13-17 फरवरी को कलकत्ता में हुआ सीटू का सातवां सम्मेलन सफलता से सम्पन्न हुआ क्योंकि सीटू केंद्र में सब ने एकजुट होकर काम किया और अलग-अलग सैक्टरियों ने काम को बांट रखा था। यह सच था और स्वाभाविक भी था कि का० बी. टी. आर. की कमी को, उसकी सरपरस्ती और उसके निर्देश की कमी को हर अवसर पर प्रतिनिधियों ने महसूस किया। इसी विशेष पहलू का ध्यान रखते हुए, पश्चिम बंगाल के नेताओं समेत समस्त सैक्रेटेरियट ने मुख्य विषयों पर, प्रबंधों पर, प्रस्तावों पर और 12-13 को हो रही मजदूर महिलाओं की तीसरी सभा पर जो इसी 7वीं सभा का एक भाग थी, विचार-विमर्श किया।

सीटू ने नेतृत्व संभाला

कोई भी दूसरा मजदूर संघ केंद्र इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यह सीटू मजदूर संघ ही था जिसने मद्रास में 1979 को हुई मजदूर महिलाओं की पहली सभा में मजदूर महिलाओं के मुद्दों और उनकी समस्याओं को उठाया और इसी के प्रधान का० बी. टी. आर. ने मजदूर संघ में मजदूर महिलाओं की समस्याओं पर और खास कर उनके आन्दोलन पर विशेष ध्यान दिया था इसलिए, इन सभाओं में उन वक्ताओं ने प्रतिनिधियों को याद दिलाया कि इस मोर्चे पर उस कार्य को न भूलें। इन सभाओं में संघ के पुरुष सदस्यों की कमियों पर चर्चा करने का कोई अवसर सीटू ने नहीं जाने दिया।

इस काम को 1979 से बढ़ावा देते हुए, किसी हद तक संघों में मजदूर महिलाओं की सदस्यता बढ़ाने में सफलता मिली, प्रबन्धकारिणी में व पद-अधिकारियों में उनकी नियुक्तियां बढ़ीं, क्रेचों की मांग जैसी अनेक मांगें पूरी हो सकीं, मजदूर महिलाओं के होस्टल, तबदीलियां, समान मजदूरी जैसे कानूनों को लागू करवाना इत्यादि। इस मसले पर हमारा यह पक्ष लिये जाने के कारण ही, नेशनल फ्रंट सरकार ने जब "मजदूर संघ और महिलाओं" की सभा बुलाई तो हमें निमन्त्रित किया गया और मुख्य दस्तावेज जिसे श्रम मंत्री ने सभा में रखा, में हमारी छठी सभा की रिपोर्ट के बहुत से परिच्छेद थे जो सम्मेलन के विशेष मजदूर महिलाओं के सत्र में से लिए गये थे।

सफलता अभी सन्तोषजनक नहीं

इस क्षेत्र में, मुख्यतया मध्यवर्ग की महिला कर्मचारियों को लेकर, सीटू को सफलता मिली है, पर यह मानना पड़ेगा कि सीटू के इस मोर्चे पर सफलता सन्तोषजनक नहीं है। सीटू नेतृत्व महिलाओं को ऊंची नियुक्तियों पर लाने से या मजदूर महिलाओं की समस्याओं को उठाने से कुछ कतराती है। बावजूद इसके कि महिलाओं को मजदूर वर्ग के आन्दोलन में लाने की अधिक सम्भावनायें हैं जिस से समस्त मजदूर वर्ग का आन्दोलन शक्तिशाली होगा।

परिचयपत्र क्या बताते हैं?

कलकत्ता में हुई मजदूर महिलाओं की सभा में राज्य प्रतिनिधियों के नेताओं के परिचय-पत्रों से हमें कई जरूरी बातों का पता चलता है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिये। 1987 में बम्बई की सभा में कुल 2448 प्रतिनिधियों में से 134 महिला प्रतिनिधि थीं। का० बी. टी. आर. ने स्वयं कुल प्रतिनिधियों में से 10% महिला प्रतिनिधि लेने के लिए राज्यों को परिपत्र भेजा था। दूसरी जरूरी बात 3 घंटों का वाद-विवाद पुरुष व महिला प्रतिनिधियों के बीच सामन्तवादी विचलन के प्रश्न पर विमल रणदिवे मंत्री की रिपोर्ट के साथ हुआ और प्रधान के तीखे उत्तर एक सांझी सूझ-बूझ इस विषय पर बनाने में सहायक हुये।

मौजूदा दशा

आओ, अब देखें कि क्रिडेंशियल कमेटी की मौजूदा दशा क्या है? कुल 2341 प्रतिनिधियों में से 121 महिलायें हैं अर्थात पिछली सभा से कम। पिछली जनरल-कौंसिल में 376 में से 20 महिलायें थीं जब कि इस कौंसिल में 460 सदस्यों में से 26 हैं। पिछली कार्य-कारिणी समिति में 107 में से 5 महिला थीं जब कि इस बार की कार्यकारिणी समिति में 130 में से 4 सदस्य महिला हैं। बम्बई सभा में 36 में से 3 पद-अधिकारी

चुनी गयीं और कलकत्ता की सातवीं सभा में भी 36 पद-अधिकारियों में से 3 महिला थीं।

इस विश्लेषण के आधार पर क्या हम दावा कर सकते हैं कि हम आगे बढ़े हैं? हां, थोड़ी बहुत उन्नति हमने की है। परन्तु पूर्णरूप से सीटू को अभी बहुत आगे बढ़ना होगा।

पश्चिम बंगाल की 212 में से 13 महिला कौंसिल सदस्य हैं जब कि केरल की 108 में से 8 चुनी गयीं। तमिलनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश में से हरएक में केवल एक और आंध्र प्रदेश में 2 सभी दूसरे राज्यों में जनरल कौंसिल की कोई महिला सदस्य नहीं। इस से सीटू की कमज़ोरी का पता चलता है और साथ ही दूसरी मज़दूर महिलाओं की जो अपनी समस्याओं के लिए गम्भीरता से नहीं लड़तीं ताकि सीटू इन्हें उठा सके।

सभा में 58 वक्ताओं में से 7 महिला थीं। आंध्र की का० पुष्पावती ने बतलाया कि उन के बोलने से पहले किसी भी वक्ता ने महिलाओं की समस्याओं के बारे या जो भी वह अपने मोर्चे पर कर रही हैं के बारे कुछ नहीं कहा। कुछ आलोचना क्रिडेंशियल कमेटी के पत्रों में भी हुई कि वह उनकी समस्याओं को उठा नहीं रही या उन पर ध्यान नहीं दे रही।

का० आर. उमानाथ ने मजदूर महिलाओं पर प्रस्ताव रखते हुए कहा कि विभिन्न सामन्तवादी विचलन मज़दूर संघ आंदोलन में, विशेष कर सीटू में, आ गए हैं और उन्होंने इस को गम्भीरता से लेने की ताकीद की। का० नाज़िमउनीसा ने इसकी ताईद करते हुए केरल की समन्वय समिति के कार्य की व्याख्या की।

इस समस्या का एक ज़रूरी पहलू यह था कि सीटू के सभी राज्य शाखायें इस बात पर सहमत थीं कि का० बी. टी. आर ने जिस प्रश्न पर इतना जोर दिया था उसे तरजीह दी जाये। राज्य समन्वय समितियों का सीटू द्वारा गठन किया जाये, जहां वह पहले से नहीं हैं।

मज़दूर महिलाओं को ध्यान देना होगा कि वह आकर सीटू से अपनी मांगों के बारे में विचार-विमर्श करें और उनको उठाने के लिए ज़ोर दें। आज की सामाजिक पद्धति की सच्चाई की कि दोनों स्त्री-पुरुष बुर्जुआ सामन्तवादी समाज की देन हैं—की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। दोनों को महिला तेहरीक में एक वर्ग के तौर पर पूंजीवादी पद्धति को उखाड़ फेंकने के लिये लड़ना होगा और इसलिए यह बहुत जरूरी है कि मज़दूर संघ में और मज़दूर वर्ग के साथ मज़दूर महिलायें सांझी लड़ाई लड़ें।

दिल्ली : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च का दिन ऐसे मुकाम पर मनाया जा रहा था, जहां देश के सामने सवैधानिक तथा राजनीतिक संकट खड़ा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में साम्राज्यवादी युद्धोन्माद तथा सांप्रदायिकता के खिलाफ नारे बुलंद करती सैकड़ों महिलाओं ने एक जुलूस निकाला, जो लाल किला के सामने पहुंच कर एक रैली में तब्दील हो गया। दिल्ली में छः राष्ट्रीय महिला संगठनों और उनके दूसरे दिल्ली-आधारित संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से 8 मार्च के मौके पर यह आयोजन किया गया था।

रैली को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की उपाध्यक्ष, अहिल्या रांगणेकर ने अपने इस पहले वाक्य से ही श्रोताओं से बिल्कुल सीधा संवाद कायम किया कि "हमें खुशी है कि कल्याणसिंह कालवी जैसे सती-समर्थकों की यह सरकार जा रही है।"

रैली को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने इराक पर साम्राज्यवादी हमले की नृशंसता, अमानवीय बमबारी और भारी तादाद में महिलाओं व बच्चों समेत असैनिकों को निशाना बनाये जाने आदि की चर्चा की। अमरीकी जंगी विमानों को ईंधन दिए जाने की सभी वक्ताओं ने एक सुर से निंदा की।

देश भर में फैली सांप्रदायिक विभीषिका के लिए भाजपा-आर एस एस-विहिप गठजोड़ को सीधे-सीधे दोषी ठहराते हुए, रैली ने धर्म के नाम पर महिलाओं पर बढ़ते हमलों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अयोध्या के मसले पर भाजपा के प्रचार की भी तीखी आलोचना की गयी। हरेक के अपनी मर्जी के मुताबिक विश्वासों पर चलने के अधिकार को स्वीकार करते हुए, हर रंग की सांप्रदायिकता की भर्त्सना की गयी।

यह रेखांकित किया गया कि किस प्रकार सांप्रदायिक ताकतें सती जैसे वहशियाना रिवाजों की फिर से जिंदा करने में लगी हुई हैं। पंजाब में यही ताकतें महिलाओं पर पोशाक के मामले में आचार संहिता थोपने की कोशिश

[शेष पृष्ठ 22 पर]

जीवन बीमा निगम की कामगार महिलाओं को क्रेच सुविधाओं और कामगार महिला होस्टल बनाने की मांग

बीमा निगम कर्मचारी यूनियन, कोइम्बटूर विभाग द्वारा आयोजित की गई जीवन बीमा निगम की पांचवीं कन्वेंशन 10-3-91, ऐतवार को कोनगु कालयी अरानगाम, इरोड में हुई। कारवाई के आचरण के लिए प्रिजिडियम का गठन किया गया जिसमें श्रीमती बी. हेमावथी (कोइम्बटोर), श्रीमती राजेश्वरी (इरोड), श्रीमती का. विद्या (आसाम), श्रीमती बी. मालाथी (धर्मापुरी), श्रीमती बी. शान्था (मेटुपालायम) और श्रीमती कान्थामनी (ऊटी) थीं। प्रोफेसर नाबीसा उम्माल एम. एल. ए. (केरल) ने कन्वेंशन का उद्घाटन किया। महिला कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए उसने कहा कि वे ए. आई. आई. इ. ए. के परचम तले एकजुट होकर महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करें क्योंकि इस समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव बरता जाता है। प्रोफेसर आर. चंद्रा (त्रिची) ने अपने इस अवसर पर दिए गए विशेष भाषण में महिलाओं को विशिष्ट स्थान देने और उन्हें ट्रेड यूनियन नेतृत्व में निर्णय लेने के स्तर पर लाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर हैरानी प्रकट की कि जीवन बीमा निगम जैसी प्रधान सार्वजनिक उद्यम में, प्रसूति-काल में महिलाओं को नौकरी नहीं दी जाती। उन्होंने लिंग निर्धारित के टैस्ट (एमन्युजेंटेसिज) का दुरुपयोग करके स्त्री-भ्रूण को नष्ट करने की प्रथा की भर्त्सना की। इस टैस्ट का मुख्यतः ऐसे पुरुष-भ्रूण को खत्म करने के लिए आविष्कार किया गया था जो हेमोफिल्यां का रोगी हो या ऐसे होने वाले बच्चों के लिए जिनके गंभीर रूप से विकलांग होने की सम्भावना हो। उन्होंने महिला कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कहा। कोई 250 के लगभग महिलाओं ने, जो कोइम्बटोर, नीलगिरी, पेरियार, धर्मपुरी और सलिम के पांच जिलों से आई थीं, इस कन्वेंशन में भाग लिया।

महिलाओं की कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 'सती' और 'दहेज' जैसी कुप्रथाओं की भर्त्सना की गयी और जनवादी विचारों के लोगों को अभी भी देश में प्रचलित इन घृणित कुप्रथाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कहा।

दूसरे प्रस्ताव में केन्द्रीय सरकार को एक ऐसा पक्का कानून बनाने के लिए कहा गया जो लिंग निर्धारण के टैस्ट, जो एमल्य, जेंटेसिज के नाम से जाना जाता है, के दुरुपयोग पर पाबंदी लगाये।

एक और प्रस्ताव द्वारा महिलाओं की कन्वेंशन ने सरकार से मांग की कि वह सभी मुख्य शहरों और कस्बों में महिलाओं की विशेष बस सेवा आरम्भ करे।

चौथे प्रस्ताव में मांग की गई कि महिलाओं को काम के समान अवसर दिए जायें और एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन हो।

एक और प्रस्ताव द्वारा महिला कर्मचारियों ने जीवन बीमा निगम की व्यवस्था से मांग की कि वह सब शहरों और कस्बों में महिलाओं के होस्टल बनाये, कार्यालयों में क्रेच की सुविधायें हों और जहां महिला कर्मचारियों की एकाग्रता हो वहां खाने के कमरे और आराम करने के कमरे अलग से होने की सुविधा हो।

छठे प्रस्ताव में जीवन बीमा निगम की व्यवस्था से मांग की गयी कि वह प्रसूति-छुट्टी बढ़ाये और प्रसूति-छुट्टी की सुविधा को पूरी तरह से गर्भपात के मामले में भी दे। कन्वेंशन ने प्रसूति काल में, जीवन बीमा निगम के महिला कर्मचारियों को नौकरी न दिए जाने की प्रथा की भी भर्त्सना की क्योंकि 'प्रसूति' एक बीमारी नहीं है।

आल इण्डिया इन्श्योरेंस एम्पलाइज एशोसियेशन (ए.आई.आई.इ.ए.) के संयुक्त सचिव, श्री बी. गोविंदाराजन, के संग्रह करने के पश्चात श्रीमती बी. राजेश्वरी की महिला उप-समिति की ओर से दी गयी कार्य-रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गयी। बीमा निगम कर्मचारी यूनियन कोइम्बटोर के महासचिव श्री जी. माधवन ने पहले महिला कर्मचारियों का स्वागत किया था और प्रभागीय यूनियन के उप-प्रधान श्री एस. कृष्णामूर्ति ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

कामगार महिलाओं को मई दिवस की बधाई

1991 के मई दिवस पर कामगार महिलाएं उनकी बराबर की हैसियत और समाज में समता के लिए संघर्ष करने का प्रण करेंगी। यह लक्ष्य अभी बहुत दूर है। कामगार महिलाओं को प्रण करना होगा कि वे अपने संघर्ष को फिर से चालू करेंगी और इसे और भी तेजी से चालू करते हुए वे अपनी पूरी शक्ति मजदूर वर्ग के संयुक्त वर्ग आन्दोलन में लगायेंगी।

हम उन महिलाओं को बधाई देते हैं जिन्होंने पिछले साल समान मेहनताने के लिए, ऋच की मांग के लिए, उन्नति के लिए, अच्छे वेतन के लिए, अपने वर्ग शत्रु के विरुद्ध कई संघर्ष लड़े। हमें अपनी आंगनवाड़ी बहनों पर मान है जो चन्द्रशेखर सरकार से अच्छे बर्ताव की मांग को लेकर हजारों की संख्या में दिल्ली आयीं और जिन्हें कोरा जवाब दे दिया गया कि उन्हें अधिक वेतन नहीं मिल सकते। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने क्या कहा था? यदि महिलाएं अधिक वेतन चाहती हैं तो रोजगार में कमी होगी। पात्र बदल जाते हैं परन्तु राजनीतिक रंग वही रहता है।

हमें एयर इण्डिया व इण्डियन एयर लाइंस की परिचारिकाओं को बधाई देते हुए गर्व महसूस होता है जो आयु व स्वास्थ्य परीक्षा में भेदभाव बरते जाने के विरुद्ध लगातार संघर्ष जारी रखे हुए हैं।

निर्माण, बीड़ी, रोपण इत्यादि कार्यों में लगी मजदूर महिलाएं अपनी यूनियनों में एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन पाने की मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। कार्यालयों, अस्पतालों और दूसरी जगह काम करने वाली महिलाओं को काम-विषयक परेशानी उठानी पड़ती है। क्या उन्हें न्याय मिलता है? सुप्रीम कोर्ट भी लेबर कोर्ट के दिये गये निर्णयों को बदल सकती है जिससे महिलाओं को न्याय नहीं मिलता।

आज के दिन, हमें एक बार फिर सरकार के बुर्जुआ सामन्तवादी ढांचे के नीचे हो रहे सभी अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष के लिए एकजुट होने का प्रण करना होगा। जब तक यह ढांचा सदा के लिए बदल नहीं दिया जाता, मजदूर महिलाओं और अन्य महिलाओं को भी समाजवादी ढांचे को पाने के लिए और भी पक्के इरादे से संघर्ष जारी रखना होगा।

आओ, इस मई दिवस पर, अपने वर्ग-संघर्ष को और भी तेजी से आगे बढ़ाने का प्रण करें।

आंगनवाड़ी महिलाओं की ओर से प्रार्थना-पत्र अर्पण

[सी पी आई (एम) की सांसद श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा, 5 मार्च 1991 को, संसद में, आंगनवाडी मजदूरों का हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र अर्पित किया गया। यहां हम उस कार्रवाई का सारांश दे रहे हैं—सम्पादक] श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य [सी पी आई (एम)] :

मैं आपकी सेवा में श्रीमती नीलिमा मित्रा और दूसरी आंगनवाडी मजदूर महिलाओं, जो कि आई. सी. डी. एस में काम करती हैं, के हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र को, जो उनके काम में कष्ट और उनकी मांगों के बारे में है, आपके सामने रखना चाहूंगी। श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मुझे बजट के मलतवी होने के बारे में एक विशेष विषय पर बात करनी है। देश के सब कोनों से आंगनवाडी मजदूर आज दिल्ली से अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाने को इकट्ठा हो रहे हैं। मैंने जब मुआमला सभा में उठाया तो प्रधानमंत्री ने मजाक में कहा कि नेशनल फ्रंट सरकार को कोई अधिकार न था कि वह ऐसे वायदे करे जिसे वह पूरा न कर सके क्योंकि आंगवाडी के लिए बजट में कोई ऐसी पूर्व-विधान नहीं था। और अब यह लेखा-अनुदान हो जाने से आंगनवाडियों की मांगों को न जाने कब तक खटाई में डाल दिया गया है। मैं इसका विरोध करती हूं और सरकार की इस कार्रवाई पर खेद प्रगट करती हूं जिससे आंगनवाडियों की जायज मांगों को अनिश्चित काल तक मलतवी कर दिया गया है। मैं जानना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और चाहूंगी कि वह इसके लिए वायदा करें और जिसे पूरा भी करें।

सामाजिक न्याय व महिलाओं के अधिकार

अब से कुछ ही सप्ताह बाद हमसे भारतीय नागरिक के नाते अपनी पसंद की सरकार चुनने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने को कहा जायेगा। देश के विभिन्न भागों में महिलाओं के भिन्न-भिन्न तबकों के बीच महिला संगठन के रूप में काम करते हुए हम समानता के संवैधानिक वादे को एक जीवंत वास्तविकता में बदलने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हमारे विचार से चुनाव प्रक्रिया भी उसी व्यापक संघर्ष का एक अंग है। इस संदर्भ में हम आपके सामने कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे रख रही हैं, जिनका आज हमें व देश को सामना करना पड़ रहा है।

अंग्रेज़ी राज से भारत को मुक्त कराने का संघर्ष कई सुनहरे सपनों पर आधारित था—भूख, भय, शोषण, सभी से मुक्ति तथा सबके लिए समान अधिकार व जिम्मेदारियाँ। हमारी विरासत अनेक लोगों की एक नये समानता, सम्मान, न्याय, तथा प्रेम पर आधारित भारत के निर्माण की आकांक्षा है। बुद्ध, महावीर, मीरा, कबीर, लाला, नानक, बासग, अक्कम्मा, ज्योतिबा, बीरसा, अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी हम सबकी साझी विरासत हैं। ऐसे अन्य अनेक नाम हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते क्योंकि जो शक्तिशाली लोग थे उन्होंने, उनके संघर्ष की स्मृतियों को मिटा दिया। वे हम जैसे सामान्य लोगों में से एक थे।

41 वर्ष पहले हमने एक चुनौती स्वीकार की थी कि हम एक नये भारत का निर्माण करेंगे जिसमें सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय सुनिश्चित होगा चाहे वह किसी भी वर्ग जाति, धर्म अथवा लिंग से संबंध रखता हो।

लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? असमानता, गरीबी व बेरोजगारी बढ़ी है। 40 वर्ष के विकास से कुछ लोगों को लाभ हुआ है, लेकिन गरीब और गरीब होते चले गये हैं। महिलाओं पर गरीबी, भूख, मूल्य वृद्धि आदि का अधिक दबाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें परिवार को चलाने की जिम्मेदारी का निर्वाह करना होता है। यही कारण है कि सामाजिक दमन व हिंसा भी अनेक रूपों में बढ़ी है—गर्भशिशु की हत्या से लेकर दहेजहत्या, रेप व हत्या के रूप में।

जिम्मेदार कौन है? महिलाओं की सुरक्षा के कानूनों का खुद सरकारी एजेंसियों द्वारा ही उल्लंघन किया जाता है। महिलाओं के जो अधिकार हैं वे भी उनसे छीने जा रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों, गर्भावस्था लाभों वेतन आयोग की सिफारिश संबंधी केवल कुछ उदाहरण हैं।

महिलाओं के अधिकारों पर बढ़ते हुए हमले लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा जनता के अधिकारों को नकारने की एक प्रक्रिया का अंग है। चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिये जाने तथा जनता को शक्ति देने की बात करते समय राज्य सरकारों को नज़रअंदाज़ कर जाने के अनेक हाल ही के उदाहरण हैं।

दूसरा बढ़ता हुआ खतरा राजनीति के अपराधीकरण का है जिसके कारण आम जन तथा विशेषकर महिलाओं का राजनीति में भाग लेना दुष्कर होता जा रहा है। हिंसा से अधिकतर लोगों को डरा कर अथवा जबर्दस्ती अहने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोक दिया जाता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का उद्देश्य विशेष रूप से परिवार व पूरे वर्ग को डराना होता है ताकि वे वोट न डालें।

कुछ लोगों का कहना है कि स्थायित्व आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। चालीस वर्षों तक देश में स्थिरता रही लेकिन इन वर्षों में देश में भ्रष्टाचार, असमानता, हिंसा तथा घृणा ही बढ़ी हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि भारत सिर्फ हिन्दुओं के लिए है। कुछ का कहना है कि पंजाब सिर्फ सिखों का है तथा कश्मीर सिर्फ मुस्लिमों का है। वे सभी हमारी आस्थाओं का सहारा लेकर हमें दूसरे मजहबों के विरुद्ध उकसाने का प्रयास करते हैं। वे सभी हमारे मस्तिष्क पर एकाधिकार चाहते हैं। विशेषकर वे महिलाओं पर अधिकार चाहते हैं। धर्म को राजनीति के साथ

मिला दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप देश में हिंसा तथा महिलाओं, पुरुषों व बच्चों की भी हत्याओं का ऐसा जघन्य नज़ारा उत्पन्न हुआ है। जो आज के पहले नहीं देखा गया।

सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि इसमें से अधिकतर राम भक्ति के नाम पर किया जाता है। क्या ये सब स्वयं संन्यासी व संन्यासिन वास्तविक रामभक्त हैं? आपको जानना चाहिए कि वे वास्तविक रामभक्त नहीं हैं। याद कीजिये महात्मा गांधी की हत्या इन्हीं शक्तियों द्वारा की गयी थी जो आज हिन्दुत्व की बात करती हैं। उनके शब्द थे—

ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
सबको सन्मति दे भगवान।

बहुत से लोग ये कहेंगे कि आप ये सब रोक नहीं सकतीं तो वोट दिया ही क्यों जाये। यदि आप उनकी बात सुनेंगी तो न केवल आप अपना एकमात्र अधिकार खो देंगी बल्कि देश को ऐसे हाथों में सौंप देंगी जिन्होंने न आपके नये समाज के सपनों को बांटते हैं न कभी बांटा है।

यह सच है कि सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का विरोध होता है, व प्रायः यह विरोध हिंसात्मक रूप भी ले लेता है, लेकिन इस सब से डटकर यदि हम संघर्ष छोड़ दें तो उसका परिणाम क्या होगा? यदि आप अपनी शक्तिहीनता की भावना के वशीभूत होकर उम्मीद छोड़ दें, व अपने निर्णय के अधिकार का समर्पण कर दें तो ये ग़ैर ज़िम्मेदाराना रवैया होगा। अपने अधिकार का प्रयोग करिये लेकिन जो कुछ दांव पर लगा है, उसके बारे में खूब सोचिये। बुद्धिमत्ता से फैसला करिये तथा अपना वोट, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय व महिला अधिकारों के पक्ष में दीजिये।

आइ सी डी एस अफसरों द्वारा विक्टिमाइजेशन का विरोध

हमारे जोधपुर संगठन की जिलाध्यक्ष एवं केन्द्रीय कमेटी की सदस्या का. जसपाल कौर को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद से दिनांक 16-11-91 को हटा दिया इससे पूर्व उन पर निम्न आरोप लगाए गए—

1. 20-12-90 को ली गई सी. एल. जो कि बाद में नामंजूर कर दी गई और इसे बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने का आरोप बनाया गया।
2. 23-1-91 को जिले की सी डी पी ओ दौरा करने आई उसने 21 तारीख की डायरी काट दी एवं उसे 22 तारीख में भरी गई बताया।
3. इन सभी का स्पष्टीकरण मांगा गया।

16-2-91 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आफिस बुलाया तथा कार्यमुक्ति का आदेश दे दिया। किन्तु लेने से मना करने पर केन्द्र पर चिपका दिया। आरोप यह कि काम के प्रति लापरवाही बरती गई।

इस सम्बन्ध में दिनांक 18-2-91 को आंगनवाड़ी तथा अन्य ट्रेड यूनियनों व जनवादी महिला समिति के साथ एक जोरदार रैली निकाल डिप्टी डायरेक्टर के कार्यालय पर 3 घण्टे तक घेराव किया गया एवं ज्ञापन दिया। बातचीत के दौरान डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि यह आदेश जयपुर से आया है। 20-1-90 को प्रोग्राम आफीसर एस. डी. जैन द्वारा केन्द्र का निरीक्षण एक और कार्यकर्ता रतनकुंवर को भी हटा दिया गया।

आल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यह मांग करती है कि हमारे कार्यकर्त्ता पर उठाए गए अन्यायपूर्ण कार्रवाई को तत्काल वापस लें।

(पृ० 18 का शेष)

कर रही हैं, तो कश्मीर में महिलाओं पर बुर्का थोपने की।

रैली में भाषणों के अलावा गीता तथा नाटक भी पेश किये गये और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का संदेश सफलता के साथ सामने लाया गया। जनवादी महिला समिति ने सांप्रदायिकता पर एक नुक्कड़ नाटक भी पेश किया, जिसमें रेखांकित किया गया कि किस प्रकार सांप्रदायिक ताकतें महिलाओं की धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करती हैं। महिलाएं एकजुटता की भावना से भरकर और एकजुट होकर समता के लिए संघर्ष करने के और पक्के संकल्प के साथ, रली से लौटीं।

गिरता ही जा रहा है समाज में महिलाओं का दर्जा

देश की कुल आबादी में महिलाओं के हिस्से में सौ साल से लगातार गिरावट आते रहने के बाद, 1981 की जनगणना में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अनुपात में कुछ सुधार आता दिखायी दिया था। लेकिन, 1991 के जनगणना के नतीजों ने, 1981 के जनगणना अधिकारियों द्वारा निकाले गये इस तरह के अति आशा-वादी नतीजों को धूल में मिला दिया है कि महिलाओं के हिस्से में तीन अंक की बढ़ोतरी इसका संकेत करती है आखिरकार हमारा देश महिलाओं की हैसियत में, जनसंख्या के अनुपात के लिहाज से, गिरावट से उभर आया है।

भारत में महिलाओं की स्थिति से संबंधित कमेटी ने आबादी में महिलाओं के घटते हुए हिस्से को भारतीय समाज में महिलाओं की गिरती हैसियत की जटिल प्रक्रिया के ही परिणाम के तौर पर लिया था कमेटी की राय थी कि अर्थव्यवस्था में परिवार में समुदाय में तथा राज-नीतिक प्रक्रिया आदि सभी में महिलाओं को हाशिए पर धकेले जाने ने महिलाओं की बढ़ती दरिद्रता, भूख और करीब-करीब सभी आयु वर्गों में अपेक्षाकृत ऊंची मृत्यु दर में योग दिया है कमेटी के इस पूर्वानुमान की उसके बाद से हुए नये शोध कार्य ने पुष्टि की है।

महिला आंदोलन द्वारा पिछले पंद्रह साल से लगा-तार इन समस्याओं को रेखांकित किया जाता रहा है और महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनों की मांग की जाती रही है, ताकि देश की राजनीतिक-अर्थव्यवस्था में महि-लाओं के बढ़ते शोषण तथा उन्हें ज्यादा से ज्यादा हाशिए पर फेंके जाने को रोका जा सके। हालांकि महिला आंदो-लन, सरकार को महिलाओं के लिए जीवन यापन के अव-सरों तथा शारीरिक सुरक्षा की स्थिति में सुधार की दिशा में कुछ कानून बनाने पर मजबूर करने में सफल रहा है, फिर भी सरकार अपनी वृहत्तर नीतियों में ऐसे कोई महत्वपूर्ण सुधार लाने में विफल रही है, जिनमें देश का आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास हो पाता। महिलाओं की हैसियत में गिरावट तथा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अपराधों में बढ़ोतरी तक ही सामाजिक प्रक्रिया के हिस्से हैं और इस सामाजिक प्रक्रिया को महि-लाओं की चंद सांकेतिक कार्रवाइयों से ही नहीं बदला जा सकता है। हमने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अन्य पहलुओं की भी निशानदेही की है। इन पहलुओं से भी मानवीय गरिमा के साथ तथा बुनियादी मानवीय अधि-कारों के साथ अपना जीवन बिताने के बुनियादी साधनों व सत्ता पर महिलाओं के घटते नियंत्रण या उन तक महि-लाओं की घटती पहुच का और, इस तरह, महिलाओ की बढ़ती आधीनता का ही पता लगता है।

हम इन बहुमुखी समस्याओं के प्रति समाज को जाग-रूक बनाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। हमारी चिंताओं का दायरा महिलाओं के अस्तित्वमात्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, प्रगति तथा अपनी समग्रता में देश के मूल्यों तक जाता है। इसके बावजूद हमारी मांगों तथा प्राथमिकताओं को सिर्फ तबकाती हितों के तौर पर ही लिया जाता रहा है और इस तथ्य की अनदेखी की जाती रही है कि महिलाएं न तो कोई एक वर्ग हैं, न कोई एक जाति और न कोई एक समुदाय। महिलाओं को सबसे निचले स्तर से लेकर ऊपर तक संगठनों, अपने कानूनी अधिकारों की चेतना और राष्ट्रीय राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के अधिकारों से लैस किये जाने की हमारी मांगों पर सांकेतिक कार्रवाइयों से ज्यादा कुछ नहीं किया गया है।

हमने 1981 की जनगणना के नतीजों को भी कोई बहुत ही ज्यादा उत्साह से नहीं लिया था, क्योंकि हमें दिखायी दे रहा था कि अनेक राज्यों में महिलाओं के अनु-पात में इसके बाद भी गिरावट जारी थी। पिछले कुछ दशकों मे महिलाओं के खिलाफ हिंसा विभिन्न रूपों में नये-नये क्षेत्रों में फैलती रही है। दहेज हत्याओं की बढ़ती संख्या और नारी हत्या के दूसरे रूप (गर्भस्थ तथा नवजात नारी शिशु की हत्या, सांप्रदायिक तथा जातिवादी दंगों में नरसहार, और राजनीतिक कार्रवाई के हथियार के तौर पर उसका नया-नया शुरू हुआ इस्तेमाल आदि) अब किन्हीं क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रह गये हैं और ऐसे इलाकों में भी फैल गये हैं, जहां इस तरह के कांडों के इससे पहले कोई उदाहरण नहीं मिलते हैं।

महिलाओं की हिफाजत तथा उनके अधिकारों में सुधार को, आबादी नियंत्रण जैसी अन्य नीतियों के अधीन नहीं किया जा सकता है। सरकार को इसका क्या अधि-कार है कि महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व लाभों को सीमित कर दे?

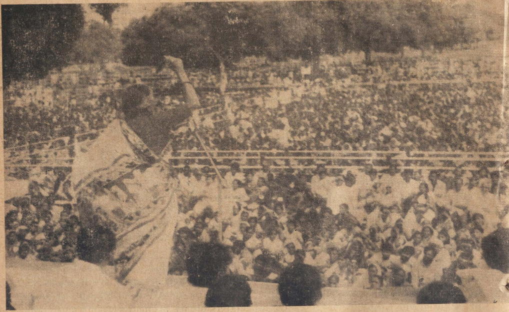

दिल्ली में 4 मार्च को आयोजित आंगनवाड़ी महिलाओं की रैली का अंश